

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2002

जयपुर, दिनांक 27 AUG 2015

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् अथवा साधारणतः 2-3 दिवस पूर्व उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने हेतु समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम 2 सप्ताह पूर्व विभाग में उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

27/8/15

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विधि सेवा संवर्ग/विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. रक्षित पत्रावली।

27/8/15
उप शासन सचिव